ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

जस्व विभिन्न पत्र संख्या : 67/2022

र्थी अप्रार्थी

नूसिह वगैरा बनाम नारायणसिह वगैरा

स्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, भू.राजस्व अधिनियम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2024	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू.राजस्व,अधिनियम का प्रार्थना पत्र ग्राम डोलानाडा पटवार हल्का लूणावास कला तहसील झंवर के खसरा नम्बर 162/85, 20, 55, 56, 58, 59, 85 कुल 7 खसरा कुल रकबा 16.9967 हैक्टर एव अप्राथीगण की खातेदार कृषि भूमि खसरा नम्बर 20/1,55/1,56/1,58/1,59/1 85/1 कुल खसरा 6 कुल रकबा 19.6511 हैक्टर वाके ग्राम डोलानाडा पटवार हल्का लूणावास कला मे आई हुई है जिसमे ऑनलाइन तरमीम गलत इन्द्राज हो गई जिसे शुद्व करवाने के लिए प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत पत्र पेश किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये अप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की सहमति से तहसीलदार झवर से मौका जॉच रिपोर्ट मंगवाई गइ। तहसीलदार झंवर के पत्र कमांक /भू.अ/2023/1810 दिनाक 03.08.2023 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई उस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा ऐतराज जाहिर करने पर न्यायालय हाजा द्वारा पुनश्चय तहसीलदार झवर से मौका जॉच रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई प्रकरण मे तहसीलदार झंवर द्वारा पुनः–मौका जौच रिपोर्ट के पत्र कमांक/भू.अ/2023/2275 दिनांक 14.11.2023 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार झवंर द्वारा मौका फर्द दिनाक 09.10.2023 के अनुसार प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की तरमीम शुद्व किया जावे तो दोनो पक्षो को किसी प्रकार का कोई एतराज नही है मौका फर्द दिनाक 09.10.2023 के अनुसार तरमीम शुद्व किया जाने की अनुशषा की गई। अतः–प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम डोलानाडा पटवार हल्का लूणावास कला की मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनाक 09.10.2023 के अनुसार तरमीम शुद्व किया जाने का आदेश दिया जाता है मौका फर्द आदेश का भाग समझा जावें आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झवर को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner